राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
38वीं बैठक - दिनांक : 17 अगस्त, 2011 का कार्यवृत्त

उत्तराखंड राज्य में स्थित समस्त बैंकों द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम त्रैमास जून, 2011 तक की प्रगति समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 38वीं बैठक पैसिफिक होटल, देहरादून में दिनांक 17 अगस्त, 2011 को आयोजित की गई।

इस बैठक में श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन, डा. अमरेन्द्र साहू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ, श्री वी.एस.बाजवा , महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, श्री पंकज पंडित, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, श्री राकेश शर्मा, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली मण्डल एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा वाणिज्यिक / ग्रामीण / सहकारी / निजी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं / निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया।

श्री राकेश शर्मा, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक का संबोधन -

श्री राकेश शर्म, महाप्रबंधक (नेटवर्क - II), भारतीय स्टेट बैंक ने अपना संबोधन प्रारम्भ करते हुए बैठक में श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, श्री राजीव गुप्ता, डा. अमरेन्द्र साहू ,अन्य मंचासीन अतिथियों का अभिनन्दन और सभी बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों का स्वागत किया। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 38वीं बैठक में सभी बैंकों के वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रथम त्रैमास जून, 2011 तक की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु प्रथम तिमाही में सभी बैंकों की 20 नई शाखाएं खोलीं गईं एवं 49 ए.टी.एम. स्थापित किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि प्रथम त्रैमास, जून, 2011 तक **वार्षिक ऋण योजना हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹ 6789 करोड़** के सापेक्ष **₹ 1357 करोड़** की प्राप्ति दर्ज की गई है, जोकि वार्षिक लक्ष्य का 20 % है जिसके अंतर्गत सभी बैंकों ने कृषि क्षेत्र में 23 %, उद्योग क्षेत्र में 15 % तथा सेवा क्षेत्र में 19 % उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा उद्योग क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम उपलब्धि की गई है जिसे बढ़ाना होगा ताकि उद्योग को प्रदेश के विकास का प्रमुख आधार बना सकें। राज्य के प्रमुख 8 बैंकों की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्धि 10 % से कम रही है जिसे बढ़ाने हेतु उनके शीर्ष प्रबंधन को अधिक प्रयास करने होंगे।

उन्होंने कहा कि बैंकों का **ऋण-जमा अनुपात** पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा बढ़ा है, जोकि मार्च, 2011 में 52.67 % से बढ़कर जून, 2011 में 52.69 % हो गया है। उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थित बैंक शाखाओं द्वारा प्रदेश में ₹ 4568.51 करोड़ के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, RIDF एवं SIDBI द्वारा ₹ 1707.06 करोड़ के ऋण एवं राज्य में स्थित बैंक शाखाओं द्वारा कुल ₹ 19198.75 करोड़ के ऋण दिए गए हैं। इसलिए बैंकों द्वारा अपने स्थानीय ऋणों को बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्य का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने में हरिद्वार एवं उधम सिंह नगर जिलों का अधिक योगदान है। सभी बैंकों से अनुरोध है कि वे पहाड़ी क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु समुचित रणनीति बनाकर संभाव्यता को देखते हुए ऋण प्रदान करने हेतु विशेष प्रयास करें। राज्य में जिन बैंकों का भी ऋण-जमा अनुपात 30 % से कम है, उन्हें इसे बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठाने होंगे।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य में **2000 से अधिक जनसंख्या वाले 216 गाँवों** में से **108 गाँवों** को संबंधित बैंकों द्वारा बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के माध्यम से जनसाधारण को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश की महत्वाकांक्षी **अटल आदर्श ग्राम योजना** के अंतर्गत **259 गाँव** में से **103 गाँवों** में बैंकिंग सुविधा पहुँचा दी गई है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक ने 41, पंजाब नेशनल बैंक - 07, बैंक ऑफ बड़ौदा - 05, केनरा बैंक - 05, नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - 06, उत्तरांचल ग्रामीण बैंक - 09 गाँव सम्मिलित हैं। संबंधित बैंक शेष बैंकिंग सुविधारहित ग्रामों में, शाखा अथवा बिजनेस कॉरेस्पोन्डेन्ट के माध्यम से बैंकिंग सुविधा पहुँचाने की त्वरित कार्रवाई करें।

उद्यान विभाग और नाबार्ड द्वारा **100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाऊस ''** में चुनिन्दा फूलों एवं बेमौसमी सब्जियों की हाई-टेक विधि से संरक्षित खेती करने के लिए बैंकपरक मॉडल प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु 6000 पॉलीहाऊस निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) विभिन्न बैंकों को प्रेषित करना प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने सभी संबंधित बैंकों से अनुरोध किया कि इन आवेदनों पर शीघ्र ऋण वितरित कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि **मुख्यमंत्री जड़ी-बूटी विकास योजना** के अंतर्गत निदेशक, एच.आर.डी.आई., गोपेश्वर द्वारा जड़ी-बूटी का व्यवसायिक कृषिकरण करने हेतु इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (प्रोजेक्ट रिपोर्ट सहित) संबंधित बैंकों को प्रेषित किए जाएं। अब तक 70 कृषकों को औषधीय व सगंध पौधारोपण हेतु ₹ 50 लाख के ऋण बैंकों द्वारा सीधे प्रदान किए गए हैं जिस पर अनुदान का प्रावधान नहीं है।

उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं / कार्यक्रमों के अंतर्गत जून, 2011 तक समस्त बैंकों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अब तक राज्य में कुल 6,12,835 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। समस्त बैंक को इस वर्ष 2 लाख के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसके लिए बैंकों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में कृषकों को के.सी.सी. के ऋण प्रदान करने होंगे।

उन्होंने राज्य सरकार से पुनः आग्रह किया कि जिन 3 जिलों (उत्तरकाशी, चम्पावत एवं नैनीताल) में आरसेटी स्थापित करने हेतु भूमि उपलब्ध / हस्तांतरित नहीं की गई है, वहाँ शीघ्र कार्रवाई करें। राज्य के 13 में से 11 जिलों में आरसेटी के माध्यम से जून, 2011 तक 1480 लोगों को 65 कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही संबंधित लीड बैंकों से आग्रह किया कि सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केंद्र (Financial Literacy & Consultation Centre) स्थापित करें। अब तक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देहरादून और हरिद्वार में तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अल्मोड़ा जिले में एफ.एल.सी.सी. खोला गया है।

अंत में उन्होंने सभी बैंकों और विभागों को वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आग्रह किया और आशा व्यक्त की कि सभी बैंक / विभाग मिलकर राज्य के आर्थिक विकास को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहयोग करेंगे तथा सभी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अपना संबोधन पूर्ण किया।

श्री सुभाष कुमार, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन का संबोधन

मुख्य सचिव महोदय ने अपना संबोधन आरम्भ करते हुए कहा कि एस.एल.बी.सी. की पिछली बैठकों की अपेक्षाकृत वर्तमान में राज्य सरकार एवं बैंकों के प्रतिनिधियों की प्रतिभागिता अधिक है जिससे संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा एवं विस्तृत विचार-विमर्श संभव है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तरीय बैठक होती है, उसी प्रकार बैंकों एवं सरकारी विभागों के साथ आयुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय त्रैमासिक बैठक आहूत की जानी चाहिए और कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल के आयुक्त को एस.एल.बी.सी. की बैठक में चर्चा हेतु आमंत्रित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हालाँकि राज्य के ऋण-जमा अनुपात में बढ़ोतरी हुई है परंतु अभी पहाड़ी जिलों का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है। हम चाहते हैं कि बैंक अधिकारी एवं राज्य सरकार के ब्लाक स्तरीय प्रसार एवं विकास अधिकारी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों में व्यवसायिकता एवं उद्यमता का विकास करें ताकि वे स्थानीय संसाधनों पर आधारित गतिविधियों को अपना कर लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी

क्षेत्रों में पर्यटन व्यवसाय के विस्तार एवं उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ, नैसर्गिक सौन्दर्य को देखने एवं साहसिक पर्यटन हेतु लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार स्वच्छ एवं सुविधाजनक होटल एवं रेस्टोरेंट विकसित किए जाने चाहिएं।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में आर.के.वी.आई. योजना के अंतर्गत कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु फलों एवं सब्जियों की अवशेष (waste) से जैविक खाद उत्पादन हेतु विशेष योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं तथा प्रदेश को हार्टिकल्चर को उद्योग के रुप में विकसित करने की अपार संभावना है। इसलिए उद्यान विभाग विभिन्न फलों / सब्जियों की उत्पादन को क्लस्टर के रुप में विकसित करने के लिए इच्छुक कृषकों / उद्यानपतियों को वित्तपोषण हेतु बैंकपरक प्रोजेक्ट तैयार करे और साथ ही साथ उत्पादों के ट्रान्सपोर्टेशन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था करे।

अंत में अध्यक्ष महोदय ने सभी विभागों एवं बैंकों को निर्देशित किया कि सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण एवं विकास योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समग्र प्रयास करें।

श्री राजीव गुप्ता, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन का संबोधन :

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त (एफ.आर.डी.सी.), उत्तराखंड शासन ने अपने संबोधन में, ग्रामीण / शहरी, मैदानी / पर्वतीय क्षेत्रों के ऋण-जमा अनुपात पर चर्चा कर उसे बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाकर विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीणों / कृषकों को ऋण वितरित करने हेतु बैंकों / संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

- उन्होंने, कृषि विभाग द्वारा बैंकों को कृषक परिवारों की सूची अभी तक उपलब्ध न कराने पर असंतोष व्यक्त किया तथा कृषि विभाग को निर्देशित किया, कि वे सितम्बर, 2011 तक यह सूची बैंकों को उपलब्ध करा दें ताकि शेष अऋणी कृषकों को **किसान क्रेडिट कार्ड** जारी किए जा सकें। इस हेतु, कृषि विभाग, बैंक तथा अन्य

- संबंधित विभागों के सहयोग से संयुक्त कैम्प आयोजित किए जाएं, जिनमें कृषकों की सूची को अद्यतन करना, भूमि स्वामित्व खाता - बहियों का वितरण तथा बैंकों द्वारा पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

- उन्होंने निदेशक (उद्यान) को निर्देशित किया कि **'' मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना ''** के अंतर्गत **100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले '' पॉली हाऊस ''** में हाई-टेक विधि से संरक्षित खेती करने के लिए इच्छुक कृषकों के आवेदन पत्र (बैंकपरक मॉडल प्रोजेक्ट सहित) वित्तपोषण हेतु बैंकों को प्रेषित करें, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु 6000 पॉलीहाऊस निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी संबंधित बैंकों को कहा कि इन आवेदनों पर शीघ्र ऋण वितरण की कार्रवाई करें।

- उन्होंने संबंधित बैंकों कों निर्देशित किया कि 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों एवं अटल आदर्श योजना के अंतर्गत आवंटित गाँवों में बैंकिंग सुविधा पहुँचाने हेतु त्वरित कार्रवाई करें और इन ग्रामों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता हेतु सूची बी.एस.एन.एल. को प्रेषित करें। वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अभी तक आच्छादित 108 ग्रामों की प्रगति की समीक्षा भी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में की जाए।

- उन्होंने बैंकों से अपेक्षा की कि वे के.वी.आई.सी, के.वी.आई.बी. एवं उद्योग विभाग से संबंधित अनुदान बकाया राशि का दावा वांछित प्रारुप पर 30 अगस्त, 2011 तक नोडल बैंक शाखा को प्रेषित कर दें और संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि बैंकों के लम्बित अनुदान राशि शीघ्र अवमुक्त करें। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन

- स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पौड़ी जिले के विवादित लम्बित प्रकरण में, अविलम्ब (अधिकतम एक माह में) निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया।

- उन्होंने, चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिला एवं ब्लाक स्तरीय बैंठकों में बैंक एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रतिभागिता कम रहती है, जिससे कि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलम्ब होता है।
- उन्होंने प्राइवेट बैंकों को प्रदेश में ऋण प्रवाह एवं वार्षिक ऋण योजना में अधिक सहभागिता करने पर बल दिया।
- उन्होंने इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई सर्वे रिपोर्ट पर, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी / सी.डी.ओ. की अध्यक्षता में बैठक कर जिले में ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने की कार्य योजना बनाई जाए और 15 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

- उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य की एस.एल.बी.सी. बैठकों में, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक को सहभागिता करने हेतु आमंत्रित किया जाए ताकि उनके सुझावों / निर्देशों से प्रदेश को नई दिशा मिल सके।

- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संबंधित विभाग एवं सभी बैंक अपने प्रगति के आँकड़ों का समय से एस.एल.बी.सी. कार्यालय को अनिवार्य रुप से प्रेषित करें, ताकि योजनाओं की समीक्षा / मूल्यांकन सही प्रकार से किया जा सके।

श्री अमरेन्द्र साहू, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ का संबोधन :

उन्होंने राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे अपने जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराएं। इसी प्रकार जिन बैंकों का ऋण-जमा अनुपात बहुत कम है वे भी इसे बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयासों / कृत कार्रवाई से सदन को अवगत कराएं।

उन्होंने आगे कहा कि बैंकों द्वारा **एम.एस.एम.ई.** के आँकड़ों के गलत संप्रेषण के कारण इनमें भिन्नता पाई जाती है, इसलिए सभी बैंक को चाहिए कि वे **कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली से स्वयं तैयार** (Computer generated data in Core Banking System) किए गए आँकड़ों को ही अपने केंद्रीय कार्यालय एवं राज्यों के एस.एल.बी.सी. कार्यालय को प्रेषित करें। संबंधित बैंकों अपने **संभाव्यता व्यवहार्य रुग्ण इकाई** (**Potentially Viable Sick Units**) के पुनर्निवेशन (rehabilitation) हेतु किए गए प्रयासों से एस.एल.बी.सी. को अवगत कराएं और संयोजक एस.एल.बी.सी. से अनुरोध है कि आगामी बैठक के एजेण्डे में इसे चर्चा हेतु सम्मिलित करें।

एस.एल.बी.सी. बैठक में अधिकांश बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के प्रतिभागिता न करने को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने गम्भीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि भविष्य में इस बैठक में विभाग एवं बैंकों के केवल नियंत्रक / शीर्ष अधिकारी ही सक्रिय प्रतिभाग करें।

श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष, उत्तराखंड इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन का संबोधन :

राज्य में उद्योग से संबंधित विषयों पर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि **उत्तराखंड इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन** ने राज्य में बैंकों के ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने में सहयोग हेतु प्रत्येक जिले का **संभाव्यता व्यवहार्य सर्वेक्षण** (Survey of Potential Viability) कराया है और उसे एस.एल.बी.सी. कार्यालय को सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को अग्रसारित करने हेतु प्रेषित कर दिया है। इस रिपोर्ट पर उन्होंने सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों से टिप्पणी / सुझाव मांगा है परंतु उत्तरकाशी के अतिरिक्त किसी भी जिले से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इन्टरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए सभी बैंक इस क्षेत्र में ऋण देने को प्राथमिकता प्रदान करें क्योंकि इससे राज्य के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

सभा के अंत में **श्री बी. पी. डिमरी, उप महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया** द्वारा बैठक में राज्य एवं बैंकों से पधारे शीर्ष अधिकारियों का आभार प्रकट किया और सभी बैंकों की ओर से राज्य के समग्र विकास हेतु लिए गए निर्णयों/सुझावों के अनुसार कार्य करने का आश्वसन दिया। उन्होंने सभी बैंकों से विभिन्न सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं के लक्ष्यों के सापेक्ष अधक से अधिक प्राप्ति दर्ज करने हेतु आग्रह किया तथा उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, प्रतिभागियों, प्रेस तथा मीडिया के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक को सजीव एवं सफल बनाने हेतु धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया गया।

****